

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 184390

पटना, दिनांक 02/05/14

या.वि.-9(ख)BRDS-14/2014

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा कर्मियों के कार्यकलापों की समीक्षा हेतु आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस के संबंध में ।

महाशय,

मनरेगा अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक 177283, दिनांक 13.02.2014 का संदर्भ किया जाय । इस दिशानिर्देश के द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि 31 मार्च 2014 तक जिन पंचायतों में 12,500 मानव दिवस सृजित नहीं होते हैं तथा जिन कार्यक्रम पदाधिकारी, एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा कार्य के प्रति रुचि का आभाव परिलक्षित हुआ है उनके विरुद्ध समीक्षोपरांत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था ।

2. इस संबंध में आपके जिले द्वारा की गई कार्रवाई का विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुरूप की जाएगी :-

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	समीक्षा की तिथि	समय
1	पटना	पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर	21.05.2014	10:00AM-11.00AM
2	सारण	सारण, सीवान, गोपालगंज	22.05.2014	10:00AM-11.00AM
3	मगध	गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा	26.05.2014	10:00AM-11.00AM
4	तिरहुत	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, प0चंपारण, पू0चंपारण	27.05.2014	10:00AM-11.00AM
5	दरभंगा	दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी	28.05.2014	10:00AM-11.00AM
6	कोशी	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा	29.05.2014	10:00AM-11.00AM
7	पूर्णिया	पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार	02.06.2014	10:00AM-11.00AM
8	भगलपुर	भागलपुर, बांका	03.06.2014	10:00AM-11.00AM
9	मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगडिया, बेगूसराय	04.06.2014	10:00AM-11.00AM

3. यह स्पष्ट उद्धृत करना आवश्यक है कि जिन मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, उन मामलों में कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे ।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव ।